रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 342] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 14, 2013/माघ 25, 1934
No. 342] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 14, 2013/MAGHA 25, 1934

IndiaCode

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2013

का.आ. 367(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 6 की उप-धारा (1) और (3) तथा धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री रमेश चन्द्र त्रिवेदी, आर-ब्लॉक, 50-ई, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110095 को दिनांक 6 फरवरी, 2013 से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनके पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 17(30)/2012-पीएल/एनजीटी]
सुरजीत सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2013

S.O. 367(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 6 and Section 7 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby appoints Shri Ramesh Chandra Trivedi, R-Block, 50-E, Dilshad Garden, Delhi-110095, as the Expert Member of the National Green Tribunal with effect from 6th February, 2013 for a period of five years or till he attains the age of sixty-five years, whichever, is earlier.

[F. No.17(30)/2012-PL/NGT]
SURJIT SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064